

[2008] 14 एस.सी.आर 653

केंद्रीय आयुक्त, बोलपुर

प्रति

मेसर्स रतन मेल्टिंग एंड वायर इण्डस्ट्रीज

(सिविल अपील सं. 4022 सन 1999)

14 अक्टूबर, 2008

(न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन, सीजेआई, डॉ. अरिजीत पासायत,
हरजीत सिंह बेदी, पी. सतशिवम और जे. एम. पांचाल)

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क:

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र- अवधारित: हालांकि संबंधित कानूनों के तहत अधिकारियों पर बाध्यकारी हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा इस विषय पर निर्धारित कानून पर हावी नहीं हो सकते। यह कहना सही नहीं होगा कि एक बार जब कोई परिपत्र न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता है, तो राजस्व को परिपत्र के विपरीत अपील में कोई आधार लेने से रोक दिया जाता है- उस स्थिति में न्यायालय द्वारा निर्णय की कोई गुंजाइश नहीं होगी। यह सर्वोच्च न्यायालय और उसके द्वारा घोषित कानून की महिमा की अवधारणा और संविधान के अनुच्छेद 141 के संदर्भ में इसके बाध्यकारी प्रभाव के विरुद्ध होगा। भारत का संविधान -अनुच्छेद 141।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए राजस्व द्वारा तत्काल अपील दायर की गई थी। अपीलें तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गईं। सुनवाई के दौरान पक्षों ने यह स्वीकार किया कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले पर न्यायाधिकरण ने भरोसा जताया था, उसे धीरेन केमिकल के मामले में संविधान पीठ ने खारिज कर दिया था। दूसरी ओर, प्रतिवादी-निर्धारिती का रुख यह था कि परिपत्रों के बाध्यकारी प्रभाव के संबंध में धीरेन केमिकल्स मामले में की गई टिप्पणियाँ उसके पक्ष में थीं। इसलिए, तीन जजों की बेंच ने बड़ी बेंच का संदर्भ दिया।

संदर्भ का उत्तर देते हुए, राजस्व द्वारा दायर की गई अपीलों को अनुमति दी गई और निर्धारितियों द्वारा दायर की गई अपीलों को खारिज कर दिया गया

न्यायालय ने अवधारित किया : 1.1 केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र और निर्देश निस्संदेह संबंधित कानून के तहत अधिकारियों पर कानूनन बाध्यकारी हैं, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय विचाराधीन प्रश्न पर कानून घोषित करता है, तो न्यायालय के लिये यह निर्देश देना उचित नहीं होगा कि परिपत्र को प्रभावी किया जाना चाहिए, न कि इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्णय में व्यक्त दृष्टिकोण को। जहां तक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी स्पष्टीकरण/परिपत्रों का सवाल है, वे केवल वैधानिक प्रावधानों की उनकी समझ का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं हैं। यह घोषित करना न्यायालय का काम है, न कि कार्यपालिका का कि किसी कानून का विशेष प्रावधान क्या कहता है। इसके अलावा, एक परिपत्र जो वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, उसका वास्तव में कानून में कोई अस्तित्व नहीं है। जैसा कि संदर्भ के क्रम में उल्लेख किया गया है, धीरेन केमिकल के मामले में टिप्पणियों की तुलना में सही स्थिति कल्याणी के मामले में बताई गई है। [पैरा 6-7] [658-बी-ई]

कल्याणी पैकेजिंग उद्योग बनाम भारत संघ व अन्य। 2004 (6) एस. सी. सी. 719,

क्लेक्टर आफ सेन्ट्रल एक्साइज बनाम धीरेन केमिकल इण्डस्ट्रीज, 2001 सप. 5 एस. सी. आर. 607,

1.2 यह कहना सही नहीं होगा कि एक बार परिपत्र को न्यायालय के संज्ञान में लाने के बाद राजस्व द्वारा चुनौती को खारिज कर दिया जाना चाहिए और वह परिपत्र के विपरीत कोई आधार लेकर अपील दायर नहीं कर सकता है। उस स्थिति में, इस बिंदु पर इस न्यायालय के निर्णय का कोई प्रश्न ही नहीं होगा। जाहिर है, निर्धारित परिपत्र के संबंध में व्यक्त दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हुए अपील दायर नहीं करेगा। राजस्व प्राधिकारी को ही इस पर सवाल उठाना होगा। सर्कुलर के साथ सामग्री रखने का मतलब होगा कि चुनौती के मूल्यवान अधिकार से उसे वंचित कर दिया जाएगा।

केंद्रीय आयुक्त, बोलपुर प्रति मेसर्स रतन
मेल्टिंग एंड वायर इण्डस्ट्रीज

655

और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। यह इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून की महिमा की अवधारणा और संविधान के अनुच्छेद 141 के संदर्भ में इसके बाध्यकारी प्रभाव के खिलाफ होगा।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा सुनाया गया

1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बोलपुर बनाम रतन मेल्टिंग एंड वायर इंडस्ट्रीज, कलकत्ता (2005 (3) एससीसी 57) के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए संदर्भ पर, इन मामलों को इस न्यायपीठ के समक्ष रखा गया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर बनाम धीरेन केमिकल इंडस्ट्रीज (2002 (2) एससीसी 127) मामले में संविधान पीठ की कुछ टिप्पणियों के कारण यह संदर्भ आवश्यक हो गया था। तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष अपील की सुनवाई के दौरान पक्षकारों द्वारा यह स्वीकार किया गया कि

कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, पटना बनाम उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज (1997 (7) एससीसी 47) में इस न्यायालय का निर्णय, जिस पर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सोना नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण ने धीरेन केमिकल मामले (सुप्रा) में संविधान पीठ के बाद के फैसले में निर्भरता को खारिज कर दिया था। लेकिन मूल्यांकनकर्ता-प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि धीरेन केमिकल के मामले (सुप्रा) का पैराग्राफ 11 उसके पक्ष में काम करता है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"हमें यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि उक्त वाक्यांश पर हमने जो भी व्याख्या की है, यदि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी किए गए ऐसे परिपत्र हैं, जो उक्त वाक्यांश पर एक अलग व्याख्या रखते हैं, तो वह व्याख्या राजस्व पर बाध्यकारी होगी।"

2. तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा यह नोट किया गया कि उपरोक्त टिप्पणियों का प्रभाव कई निर्णयों में नोट किया गया था। कल्याणी पैकेजिंग उद्योग बनाम भारत संघ और अन्य (2004 (6) सेकंड 719) में, इसे इस प्रकार नोट किया गया था:

"हमने देखा है कि धीरेन केमिकल केस (2004 (6) एससीसी 722) के पैरा 9 (एससीसी में पैरा 11) को गलत समझा जा रहा है। इसलिए, धीरेन केमिकल केस के पैरा 9 (एससीसी में पैरा 11) को स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है। 2004 (6) एससीसी 722)। हममें से एक (वरियावा, जे.) धीरेन केमिकल मामले के फैसले में एक पक्ष था और जानता है कि पैरा 9 (एससीसी में पैरा 11) को शामिल करने का इरादा क्या था। यह याद रखना चाहिए कि कानून इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून देश का कानून है। इस प्रकार निर्धारित कानून सभी अदालतों/न्यायाधिकरणों और निकायों पर बाध्यकारी है। यह स्पष्ट है कि बोर्ड के परिपत्र इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर हावी नहीं हो सकते। हालाँकि, यह बताया गया कि धीरेन केमिकल मामले की सुनवाई के दौरान बोर्ड के परिपत्रों के कारण कई मामलों में विभाग ने छूट अधिसूचनाओं का लाभ दिया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि धीरेन केमिकल मामले में इस न्यायालय द्वारा अब दी गई व्याख्या पर राजस्व की संभावना थी मामलों को फिर से खोलें।

इस प्रकार पैरा 9 (एससीसी में पैरा 11) को यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया था कि जिन मामलों में छूट अधिसूचना का लाभ पहले ही दिया जा चुका है, राजस्व बाध्य रहेगा। मकसद यह था कि ऐसे मामले दोबारा न खुलें। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उन मामलों में भी जहां राजस्व/विभाग ने पहले ही तर्क दिया था कि छूट अधिसूचना का लाभ उपलब्ध नहीं था, और मामला किसी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन था। न्यायालय या न्यायाधिकरण इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय को प्राथमिकता देते हुए बोर्ड के परिपत्रों को भी प्रभावी करेगा। जहां विवाद के परिणामस्वरूप मामला न्यायाधीन है, धीरेन केमिकल मामले के बाद एक न्यायालय/न्यायाधिकरण उस फैसले में निर्धारित व्याख्या के लिए बाध्य है। अन्यथा मानने और सुझाए गए तरीके से व्याख्या करने का मतलब यह होगा कि न्यायालयों/न्यायाधिकरणों को इस न्यायालय के फैसले को नजरअंदाज करना होगा और बोर्ड के परिपत्रों का पालन करना होगा। धीरेन केमिकल मामले के पैरा 9 का मतलब यह नहीं था।"

3. तीन-न्यायाधीशों की पीठ कल्याणी के मामले (सुप्रा) में व्यक्त दृष्टिकोण से सहमत हुई और कहा कि अमान्यकरण के बारे में धीरेन केमिकल के मामले (सुप्रा) के पैराग्राफ 11 में टिप्पणियों को स्पष्ट करने के लिए दृष्टिकोण पर्याप्त था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धीरेन केमिकल के मामले (सुप्रा) का निर्णय पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया गया था, यह उचित लगा कि समान शक्ति वाली पीठ को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इसीलिए हवाला दिया गया।

4. भारत संघ के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 141 के तहत देश का सर्वोच्च कानून है। परिपत्रों को निर्णयों पर प्रधानता नहीं दी जा सकती।

5. दूसरी ओर, निर्धारिती के वकील ने कहा कि एक बार परिपत्र जारी होने के बाद यह राजस्व अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है और भले ही यह इस न्यायालय के फैसले के विपरीत हो, राजस्व अधिकारी यह नहीं कह सकते कि वे बाध्य नहीं हैं। बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र निर्धारिती पर बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन राजस्व अधिकारियों पर बाध्यकारी हैं।

यह प्रस्तुत किया गया था कि एक बार बोर्ड एक परिपत्र जारी कर देता है, तो राजस्व अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ नहीं उठा सकते हैं। सर्कुलर जारी करने का परिणाम यह होता है कि अधिकारी सर्कुलर के विपरीत कार्य नहीं कर सकते। एक बार जब परिपत्र न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता है, तो राजस्व द्वारा दी गई चुनौती को खारिज कर दिया जाना चाहिए और राजस्व उस आधार पर अपील दायर नहीं कर सकता है, जो परिपत्र के विपरीत है।

6. बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्र और निर्देश निस्संदेह संबंधित कानून के तहत अधिकारियों पर कानून के रूप में बाध्यकारी हैं, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय विचार के लिए उठने वाले प्रश्न पर कानून घोषित करता है, यह न्यायालय के लिए यह निर्देश देना उपयुक्त नहीं होगा कि परिपत्र को प्रभावी किया जाय, न कि इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्णय में व्यक्त दृष्टिकोण को। जहां तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण/परिपत्रों का सवाल है, वे केवल वैधानिक प्रावधानों की उनकी समझ का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं हैं। यह घोषित करना न्यायालय का काम है कि कानून का विशेष प्रावधान क्या कहता है और यह कार्यपालिका का काम नहीं है। दूसरे नजरिए से देखें तो जो सर्कुलर वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, उसका वास्तव में कानून में कोई अस्तित्व नहीं है।

7. जैसा कि संदर्भ के क्रम में उल्लेख किया गया है, धीरेन केमिकल के मामले (सुप्रा) के पैरा 11 में टिप्पणियों की तुलना में सही स्थिति कल्याणी के मामले (सुप्रा) में बताई गई है। यदि निर्धारिती के लिए विद्वान वकील की दलीलें स्वीकार कर ली जाती हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि अपील दायर करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उस स्थिति में, इस बिंदु पर इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का कोई सवाल ही नहीं है। जाहिर है, निर्धारिती परिपत्र के संबंध में व्यक्त दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हुए अपील दायर नहीं करेगा। राजस्व प्राधिकारी को ही इस पर सवाल उठाना होगा। सर्कुलर के साथ सामग्री रखने का मतलब होगा कि चुनौती के मूल्यवान अधिकार से उसे वंचित कर दिया जाएगा और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। यह इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून की महिमा की अवधारणा और संविधान के अनुच्छेद 141 के संदर्भ में बाध्यकारी प्रभाव के खिलाफ होगा।

केंद्रीय आयुक्त, बोलपुर प्रति मेसर्स रतन
मेल्टिंग एंड वायर इण्डस्ट्रीज

659

8. तदनुसार संदर्भ का उत्तर यह मानते हुए दिया गया है कि कल्याणी के मामले (सुप्रा) द्वारा सही दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है जैसा कि संदर्भ क्रम में उल्लेख किया गया है।
9. राजस्व द्वारा दायर की गई अपीलें को स्वीकार किया जाता है, जबकि निर्धारिती द्वारा दायर की गई अपीलें खारिज की जाती हैं।